संख्या-09/2017/414/क.नि.प्र./26-3-2017-17(39)/97

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांक 15 मई,2017
समाज कल्याण विभाग

विषयः- अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय अधिष्ठान पर कार्यरत स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि की स्वीकृति वर्ष 2017-18

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-210/स0क0/लेखा-बजट/2017-18 दिनांक 27 अप्रैल,2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय अधिष्ठान पर कार्यरत स्टाफ के वेतन,भत्ते आदि पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 8682.68 लाख (रू0 छियासी करोड़ बयासी लाख अड़सठ हजार मात्र) में से के प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त) के व्यय हेतु कुल रू0 36,17,78,327.00 (रू0 छत्तीस करोड़ सत्रह लाख अठहत्तर हजार तीन सौ सत्ताइस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-6/2017/328/क.नि.प्र./26-3-2017-17(39)/97 दिनांक 25 अप्रैल,2017 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-6/2017/328/क.नि.प्र./26-3-2017-17(39)/97 दिनांक 25अप्रैल, 2017 को सम्यक विचारोपरान्त एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीया,

(नीरजा कुरील)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-09/2017/414(1)/क.नि.प्र./26-3-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इालाहाबाद्द।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
5- सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- एन.आई.सी. की प्रति।
7- समाज कल्याण अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीरजा कुरील)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।